[निजी प्रसार के लिए]

अंक २५ नई दिल्ली, मार्च २०१२

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई. जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'कहीं मानव संस्थानों की कमी तो कहीं इच्छशक्ति की'

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) द्वारा १८.१९ फरवरी २०१२ को 'नई पुलिसिंग शिकायत प्राधिकरणों के काम काज' पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कांफ्रेंस के दौरान कुछ शिकायत प्राधिकरणों के अध्यक्षों से शिकायत प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली आदि से संबंधित विषयों पर लिए गए साक्षातकारों के कुछ भाग।

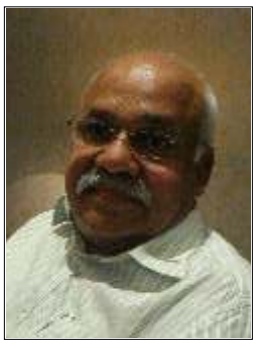

श्री सुरेन्द्र सिंह प्रमार

दमन एंव दिउ एंव दादर और नगर हवेली के पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पु.शि.प्रा.) के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह प्रमार से ज़ीनत मलिक द्वारा पूछे गए प्राधिकरण संबंधित प्रश्नों के उत्तर।

सर, दमन–दिउ और दादरा नगर हवेली में पुलिस शिकायत प्राधिकरण और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें।

१० अगस्त २०११ वर्तमान में यह एक व्यक्ति द्वारा काम करने वाली संस्था है। यहाँ, मेरे अलावा एक क्लर्क है जो कि मुझे काम में सहायता पहुंचाता है।

आपके पास किस प्रकार के केस आते हैं?

यह एक बहुत ही छोटा केन्द्र शासित राज्य क्षेत्र है। दिउ से दमन तक का क्षेत्रफल कुल ७०० किलोमीटर का है। जिसमें दिउ का क्षेत्रफल ४० किलोमीटर जबकि दमन का ७१ किलोमीटर है तथा इसकी आबादी तकरीबन ३.५ लाख है। दादरा नगर हवेली करीब ४९१ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ ६५ प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है जबकि कुल जनसंख्या ३.५ (साढ़े तीन लाख) लाख है।

आम लोगों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पु.शि.प्रा.) के बारे में जानकारी की कमी है हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रेस रिलीज़ द्वारा लोगों तक इस बारे में जानकारी पहुंचाने की। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का क्लिप भी यू ट्यूब पर डाला था।

हिरासत में मौत के एक केस का मैंने अपने आप ही संज्ञान लिया था जिसमें अस्पताल में मुत्यू हुई थी और जिसकी जांच अभी चल रही है। एक और केस जिसका संज्ञान अपने आप ही लिया था वो एफ.आई.आर. नहीं दर्ज करने से संबंधित था। इन केसों के अलावा मेरे पास तीन महीनों के भीतर ५ शिकायतें आ चुकी हैं। वर्तमान में प्राधिकरण कुल ८ शिकायतों की सुनवाई कर रहा है। इनमें से अधिकतर केस एफ.आई.आर. न दर्ज करने से संबंधित।

कृपया शिकायतों की सुनवाई और निपटारे की प्रक्रिया के बारे में बतायें?

जिस समय हमारे पास शिकायत पहुंचती है, जोकि हमारे पास ई–मेल द्वारा भी भेजी जा सकती है। उसे टस देखने पर अगर प्रत्यक्ष रूप से कोई केस बनता है तो हम सम्बन्धित अधिकारी को बयान दर्ज करने के लिए बुलाते हैं। फिर, दोनों पक्षों को नोटिस भेज कर अपने–अपने सबूत रिकॉर्ड कराने के लिए कहा जाता है जोकि वे मौखिक या लिखित रूप से करा सकते हैं। अभी तक कोई भी केस अपने समापन पर नहीं पहुंचा है। हांलाकि, दो केस इसके करीब पहुंच चुके हैं।

पु.शि.प्रा. की क्या चुनौतियां हैं और इनके साथ प्राधिकरण अपने दायित्वों का निर्वाह कैसे कर पा रहा है?

मानव संसाधन, अवसंरचना की कमी और सहाय सहकार सम्बन्धी कमियां।

क्या आपने प्रशासन से इसकी मांग की है? उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

हाँ, लेकिन गृह मंत्रालय ने कहा है कि सीमित पोस्ट अनुमोदित हुए हैं– एक कन्वेनर कम सेक्रेटरी, एक मल्टी टास्क कर्मचारी और एक सुपरिटेंडेंट और वे भी इन पदों को संभालने के ईच्छुक नहीं हैं। जबकि, हमें एक बड़े और स्किल्ड स्टाफ की आवश्यकता है। मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं इंक्वायरी कर सकूँ, जो भी करना होता है मैं स्वंय ही करता हूँ। हांलाकि, मुझे प्रशासन से और पुलिस प्रमुखों से काम में सहायता मिल रही है इसलिए, मानव संसाधन की कमी के अलावा कोई और कठिनाई नहीं है।

श्री ए. बी. पाल

त्रिपुरा के पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पु.शि.प्रा.) के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री ए.बी. पाल से प्राधिकरण सम्बन्धित विषयों पर ज़ीनत मलिक द्वारा लिया गया साक्षातकार।

सर, कृपया त्रिपुरा में पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पु.शि.प्रा.) और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें।

त्रिपुरा में पु.शि.प्रा २००७ में स्थापित किया गया था लेकिन इसने २००८ से काम करना शुरु किया था और इसे यहाँ, पुलिस जवाबदेही आयोग कहा जाता है।

आपके कार्यकाल के दौरान पुलिस के विरुद्ध किस प्रकार की शिकायतें आती रही हैं और अब तक कितनी आ चुकी हैं?

मैं यहाँ ६ महीनों से अध्यक्ष के पद पर हूँ। इस दौरान आयोग के पास ३६ केस आए हैं जिसमें से मैं कुछ केसों के बारे में बताना चाहूँगा।

एक महिला जिसका उसके पति से अलगाव हो गया था और वह अपने दो बच्चों के साथ खेदा छोरा गांव में रहती थी। उस क्षेत्र का ऑफ़िस इंचार्ज (ओ.सी.) बहुत भ्रष्ट था। वह उस महिला से यौन सम्बन्ध बनाने के लिए कई बार कह चुका था लेकिन महिला उसे मना करती रही थी। फिर, एक रात को वह उसके घर आतंकवादियों के छुपे होने का आरोप लगा कर तलाशी लेने के लिए उसके घर में घुस आया। उसके दो छोटे बच्चे भी थे और एक छोटा भाई भी वहीं था। जब वह सुबह अदालत जाकर शिकायत दर्ज कराने के लिए माँ के साथघर से निकली तब रास्ते में ओ.सी. और दूसरे पुलिस वालों ने उन्हे रोका और वे उस दिन कोर्ट नहीं जा सकीं। इसी प्रकार तीसरी कोशिश में वह महिला कोर्ट पहुंच पाई और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५६(३) के अंतर्गत एस.पी. को केस रजिस्टर करके जांच करने का आदेश दिया। लेकिन एस.पी. ने जाति के पुलिस अफसर को बचाने के लिए एस.डी.पी.ओ. को निर्देश दिया कि वह महिला को समझौता करने के लिए तैयार करे। फिर, एक आदिवासी वकील को किसी प्रकार इस आयोग के बारे में जानकारी मिली और उसने यह केस हमारे पास भेजा। अभी कार्यवाही चल रही है।

हमारे निर्देश के बाद उस पुलिस अधिकारी का तबादला कहीं और कर दिया गया है। लेकिन पुलिस जांच की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और इसके पहले ही एस.डी.पी.ओ. ने इंक्वायरी करके इसी केस में रिपोर्ट भी दे दी है जिसमें यह कहा गया है कि यह आरोप गलत है और ऐसा कोई केस ही नहीं था। ऐसी परिस्थिति में जहाँ जांच पुलिस कर रही है और उसी आरोप के विरुद्ध एक रिपोर्ट मौजूद है तो इसका क्या परिणाम निकलेगा इसका अन्दाज़ा लगाया जा सकता है।

पुलिस मुख्यालय से ४–५ लोग जोकि, बेहद वरिष्ठ हैं, पु.शि.प्रा. के बिल्कुल विरुद्ध हैं।

आपने बताया कि आपके पास ३६ केस आ चुक हैं जिसमें से एक के बारे में आपने जानकारी भी दी, बाकी के केस किस प्रकार के हैं?

अधिकतर केस पुलिस द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग से सम्बन्धित हैं।

आयोग के काम को बेहतर और प्रभावकारी बनाने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए?

हमें पुलिस अधिकारियों के साथ अधिक से अधिक सम्पर्क में रहना होगा। अभी नये डी.जी.पी. की नियुक्ति हुई है जिनसे मेरी मुख्यमंत्री ने एक बार मुलाकात करवाई थी और मुझे लगता है कि वह पहले वाले डी.जी.पी. की तरह नहीं हैं और इसके प्रावधानों का पालन करना चाहते हैं। सिविल सोसाईटी में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए, मीडिया द्वारा निषक्रीय और गलत करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए तथा पुलिस जवाबदेही आयोग के अस्तित्व के बारे में जानकारी फैलाना चाहिए।

बूझो और जीतो-३

प्रिय पाठकों,

लोक पुलिस पत्रिका के जनवरी २०१२ अंक से आपके लिए इस रोचक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत की गई थी। जिसके अंतर्गत आपसे केवल ५ सवाल पूछे जाते हैं, जो आपके काम से संबंधित होते हैं। आपको इनके जवाब डाक द्वारा या ईमेल द्वारा नीचे लिखे पते पर भेजने हैं।

पहले ५ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा प्रकाशन से तीन महीने के भीतर भेजा जाएगा और विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित किये जाएंगे। आशा है, आप लोग अधिकाधिक संख्या में इसमें भाग लेंगे।

नोटः जनवरी २०१२ अंक के परिणाम अप्रैल २०१२ के अंक में प्रकाशित किये जाएंगे।

आपके सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. क्या पुलिस किसी व्यक्ति को गैर–जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद १० घंटे के भीतर बिना मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किये ही छोड़ सकती है?

२. आरोपी की शिनाख़्त परेड किस प्रावधान के अंतर्गत कराई जाती है?

३. दण्ड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत पुलिस द्वारा अदालत में अंतिम रिपोर्ट दायर की जाती है?

४. क्या ९० दिन की अवधि पूरी हो जाने के बाद आरोपी को गैर–जमानती अपराध में जमानत मिलने के अधिकार प्राप्त होता है? किस प्रावधान के अंतर्गत?

५. अगर आप किसी आपराधिक गिरोह को चोरी का सामान आपस में बांटते हुए पकड़ते हैं और उसमें एक १३ साल का लड़का भी शामिल है तब आप उसे कहां ले जाएंगे? क्या उसे भी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे?

हमें लिखें–

ज़ीनत मलिक
प्रधान संपादक, ***लोक पुलिस***
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१-०११-४३१८०२००, ४३१८०२२५-२९९
फैक्स : +९१-०११-२६८६४६८८
ई–मेलः info@humanrightinitiative.org

पुलिस शिकायत प्राधिकरण–बेहतर कार्यप्रणाली पर मंथन

उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश सिंह व अन्य बनाम भारत गणराज्य व अन्य (२००६) के केस में पुलिस सुधार पर दिये गये अपने ७ दिशा–निर्देशों में से एक निर्देश यह भी दिया था कि केन्द्र और राज्य दोनों ही, राज्य और ज़िला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरणों की स्थापना करें। इसकी स्थापना से पुलिस को प्राप्त दण्डमुक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार की गलती के लिए कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन, बाकी के ६ दिशा–निर्देशों की ही तरह इसका भी पालन या तो नहीं किया गया है या आधे–अधूरे तौर पर किया गया है।

पुलिस शिकायत प्राधिकरण क्या है और क्यों होना चाहिए?

पुलिस के विरुद्ध उनकी गलतियों और दुर्व्यवहारों के विरुद्ध आम जनता के पास एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय उपलब्ध हो, इसी विचार के साथ उच्चतम न्यायालय ने सरकारों को राज्य और जिला स्तर पर पु.शि.प्रा. की स्थापना का निर्देश दिया था।

पुलिस द्वारा अनगिनत ऐसे केसों के उदाहरण उपलब्ध हैं जहां उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और मानवाधिकारों का हनन किया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास सबसे अधिक मानवाधिकार उल्लंघन के केस पुलिस से संबंधित होते हैं। इसलिए ऐसे केसों से स्थानीय स्तर पर निपटने के लिए पु.शि.प्रा. की स्थापना आवश्यक है। इसके अभाव में आयोग का सबसे अधिक समय भी इन्हीं केसों पर लगता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के श्री पुप्पुल श्रीवास्तव जी ने भी अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि 'अगर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन पु.शि.प्रा. के संदर्भ में ठीक से किया जाए, तब आयोग का भी भार कम होगा और वह अपना ध्यान दूसरे क्षेत्रों में केन्द्रित कर सकेगी'।

लेकिन, पुलिस के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है यह अवधारणा ही नहीं है और पुलिस को आमतौर पर बर्दाश्त नहीं है। साथ ही, पुलिस शिकायत प्राधिकरण जैसी निकाय की स्थापना और उचित रूप में काम करना, इसमें राजनैतिक ईच्छाशक्ति की भी कमी है। ऐसे में अगर स्थापना कर भी दी जाए तो यह कितना कारगर होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

पुलिस शिकायत प्राधिकरण के काम–काज पर चर्चा

इसलिए, पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पु.शि.प्रा.) के काम–काज पर चर्चा करने तथा पु.शि.प्रा. के लिए मॉडल नियमावली जोकि सी.एच.आर. आई. ने बनाया है उस पर चर्चा करने के लिए तथा अलग–अलग राज्यों के अनुभवों तथा चुनौतियों को बांटने के लिए कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनीशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) ने दिल्ली में १८–१९ फरवरी २०१२ को एक कान्फ्रेंस का आयोजन किया था।

इसमें ६ राज्यों के पु.शि.प्रा. के अध्यक्षों, सिविल सोसाईटी के कई शेयर धारकोतथा केरल के डी.जी.पी. श्री जेकब पुन्नूस तथा उत्तराखण्ड के डी. जी.पी. श्री जे.एस. पाण्डे ने भी भाग लिया तथा पुलिस विभाग का दृष्टिकोण रखा।

इस दौरान इन निकायों के अध्यक्षों आने वाली कठिनाईयों के बारे में भी चर्चा की। सी.एच.आर.आई. पुलिस सुधार टीम की समन्वयक सुश्री नवाज़ कोतवाल ने बताया कि'वर्तमान में केवल १० क्रियाशील निकाय हैं। १८ राज्यों में इसकी स्थापना केवल कागजों पर है। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार जहां इनही स्थापना की गई है वहां भी इनके गठन, मैनडेट, चयन प्रक्रिया और फंड आदि को देखकर साफ पता चलता है कि किस प्रकार इनसे समझौता किया गया है। सबसे बढ़कर इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है।' कुल २८ राज्यों और ७ संघ राज्य क्षेत्रों में इस निर्देश के पालन से संबंधित स्थिति इस प्रकार है:

इस कान्फ्रेंस में आम सहमति यह बनी कि मौजूद पुलिस शिकायत प्राणिकरणों को आपस में मिलकर और एक दूसरे के अनुभवों से सीख लेकर काम करना होगा। इसके अलावा जल्दी ही एक केन्द्रीय नियमावली बनाई जाएगी ताकि इसके काम में एकरूपता और जवाबदेही लायी जा सके ।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्तमान स्थिति
१.	आन्ध्रा प्रदेश	कोई पु.शि.प्रा. नहीं है। दिसम्बर २००९ को हलफ़नामा दायर करके इस निर्देश का विरोध किया था।
२.	अरुणाचल प्रदेश	कोई पु.शि.प्रा. नहीं है।
३.	असम	पु.शि.प्रा. स्थापित है। राज्य स्तर पर तथा २७ ज़िलों में पु.शि. प्रा. की स्थापना की गई है।
४.	बिहार	कोई पु.शि.प्रा. नहीं है। हांलाकि, अप्रेल २००७ को पूरक हलफनामा दायर करके कहा कि छठा अर्थात् पु.शि.प्रा. से सम्बन्धित निर्देश का पालन किया जाएगा।
५.	चण्डीगढ़	पु.शि.प्रा. की स्थापना की गई है। इसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। प्राधिकरण की सिफ़ारिशें आमतौर पर बाध्यकारी होंगी अन्यथा इसका कारण लिखित में देना होगा।
६.	छत्तीसगढ़	वर्तमान में कोई पु.शि.प्रा. नहीं है।
७.	दमन व दिउ तथा दादरा व नगर हवेली	पु.शि.प्रा. स्थापित है। एक ही प्राधिकरण इन दो संघ राज्यक्षेत्र को देखेंगे। एक वकील को अध्यक्ष बनाया गया है। सिफ़ारिशें बाध्यकारी हैं अन्यथा इसका लिखित कारण देना होगा।
८.	दिल्ली	पु.शि.प्रा. की स्थापना मार्च २०१२ को सरकारी आदेश के अनुसार की गई है। लेकिन इसके सभी सदस्य सेवारत ब्योरोक्रेट हैं।
९.	गोवा	पु.शि.प्रा. स्थापित है। एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन, बाकी चार सदस्यों का चयन पूरी तरह सरकार द्वारा किया जाता है।
१०.	गुजरात	कोई पु.शि.प्रा. नहीं है। हांलाकि, अपने अधिनियम में इसकी स्थापना का प्रावधान रखा।
११.	हरियाणा	पु.शि.प्रा. की स्थापना की गई है। राज्य स्तरीय प्राधिकरण की स्थापना की गई है। जिसकी अध्यक्षता पूर्व आई.ए.एस. द्वारा की जा रही है। पु.शि.प्रा. के पास अपने आप ही शक्तियां हैं इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां मौजूद है। राज्य सरकार इसकी प्राप्ति का अवलोकन करेगी। कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है।
१२.	हिमाचल प्रदेश	कोई पु.शि.प्रा. नहीं है। अप्रैल २००७ में दिये गये हलफनामे के अनुसार लोक आयुक्त राज्य में पहले से ही पु.शि.प्रा. का काम कर रहा है।
१३.	जम्मू कश्मीर	कोई पु.शि.प्रा. नहीं। अप्रैल २००७ में हलफनामा दायर करके अपनी विशिष्ट अवस्था का हवाला देकर इससे बचे रहन का आवेदन किया।
१४.	झारखण्ड	कोई पु.शि.प्रा. नहीं। हांलाकि, २००७ के आदेश के अनुसार ज़िला और राज्य स्तर पर इसकी स्थापना की बात कही गई थी।
१५.	कर्नाटक	कोई पु.शि.प्रा. नहीं। दिसम्बर २००६ व अप्रैल २००७ में हलफनामे में कहा कि पु.शि.प्रा. की स्थापना नहीं की गई क्योंकि राज्य ने कहा कि दूसरे आयोग हैं जो पुलिस के विरुद्ध शिकायतों को देखेंगे।
१६.	केरल	पु.शि.प्रा. राज्य और ज़िला स्तर पर हैं। राज्य पु.शि.प्रा. की बाध्यकारी शक्तियां हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे। सेवानिवृत्त ज़िला जज जिला प्रा. के अध्यक्ष होंगे। इसकी शक्तियां भी बाध्यकारी हैं। दोनों के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। गठन निर्देश के अनुसार नहीं। सेवा में रहते हुए आई.ए.एस. तथा आई.पी. एस. अधिकारी इसके सदस्य हैं।
१७.	मध्य प्रदेश	कोई पु.शि.प्रा. नहीं। २००७ में स्थापना के लिए समय में बढ़ोतरी की मांग की गई थी।
१८.	महाराष्ट्र	कोई पु.शि.प्रा. नहीं। हांलाकि, सरकारी प्रस्ताव में राज्य और जिला स्तर पर पु.शि.प्रा. की स्थापना करने की बात की गई थी।
१९.	मणिपुर	कोई पु.शि.प्रा. नहीं। हांलाकि, दिसम्बर २००६ के हलफनामे के अनुसार–पश्चिमी इम्फाल के लिए तथा २००७ में राज्य और जिला पु.शि.प्रा. की स्थापित की जानी थी।
२०.	मेघालय	पु.शि.प्रा. की स्थापना की गई है। लेकिन, इसका गठन सभी कार्यरत प्राधिकरणों से बुरा है क्योंकि, इसमें गुह मंत्री इसके अध्यक्ष हैं तथा सेवारत डी.जी.पी., गृह सचिव और प्रमुख सचिव इसके सदस्य हैं।
२१.	मिज़ोरम	कोई पु.शि.प्रा.नहीं। हांलाकि, दिसम्बर २००६ के हलफनामे में कहा गया था कि राज्य सरकार एक पु.शि.प्रा. की स्थापना करना चाहती है।
२२.	नागालैण्ड	कोई पु.शि.प्रा. नहीं। हांलाकि, अगस्त २००७ में राज्य और ११ ज़िलों में पु.शि.प्रा. की स्थापना उच्चतम न्यायालय इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं हैं। इसकी शक्तियों को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है।
२३.	उड़ीसा	कोई पु.शि.प्रा. नहीं। जबकि, अप्रैल २००७ में दायर हलफनामे के अनुसार राज्य और ज़िला स्तर पर पु.शि.प्रा. की स्थापना करने के लिए उच्चतम न्यायालय को मेमो दिया गया था ।
२४.	पांडिचेरी	पु.शि.प्रा. है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हैं। आमतौर पर इनका निर्देश बाध्यकारी होगा अन्यथा इसका लिखित कारण देना होगा।
२५.	पंजाब	कोई पु.शि.प्रा. नहीं। जबकि, अप्रैल २००७ के हलफनामे में कहा गया था कि राज्य और जिला स्तर पर पु.शि.प्रा. की स्थापना की जाएगी।
२६.	राजस्थान	कोई पु.शि.प्रा. नहीं। हांलाकि, राजस्थान पुलिस अधिनियम २००७ में राज्य और ज़िला स्तर पर पु.शि.प्रा. की स्थापना की बात की गई है।
२७.	सिक्किम	पु.शि.प्रा. है। सरकार के अधिसूचना के बाद केवल राज्य स्तर पर एक पु.शि.प्रा. की स्थापना की गई है। गठन निर्देश के अनुसार नहीं है–इसमें केवल एक अध्यक्ष और दो सदस्य हैं जबकि ३–५ स्वतंत्र सदस्य होने चाहिए। राज्य को चयन पैनल स्थापित करना है जोकि सदस्यों की सिफारिश करेगी।
२८.	तमिल नाडू	कोई पु.शि.प्रा. नहीं। अप्रैल २००७ के हलफनामे द्वारा इस निर्देश के मानने का विरोध किया।
२९.	त्रिपुरा	पु.शि.प्रा. है। केवल राज्य स्तर पर स्थापना की गई है। अध्यक्ष और सदस्य सीधे सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, गठन निर्देश के अनुसार नहीं है। जिला स्तर पर कोई पु.शि. प्रा. नहीं।
३०.	उत्तर प्रदेश	कोई पु.शि.प्रा. नहीं। दिसम्बर २००६ के हलफनामे द्वारा इस निर्देश का विरोध किया।
३१.	उत्तराखण्ड	पु.शि.प्रा. के अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त एक सेवानिवृत न्यायाधीश होंगे।सरकार इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति करेगी और इससे सम्बन्धित निर्णय लेगी। पु.शि.प्रा. को सभी शिकायतों को डी.जी.पी. को आगे की कार्यवाही के लिए भेजना होगा। अगर कोई शिकायत किसी और प्राधिकरण या अदालत में चल रहा है तब पु.शि.प्रा. इसकी सुनवाई नहीं कर सकती। जिला स्तर पर कोई पु.शि.प्रा. नहीं। प्राधिकरण के पास बाध्यकारी शक्ति नहीं।
३२.	पश्चिम बंगाल	कोई पु.शि.प्रा. नहीं। इसके बारे में कोई हलफनामा भी नहीं।

इस कान्फ्रेंस में आम सहमति यह बनी कि मौजूद पुलिस शिकायत प्राधिकरणों को आपस में मिलकर और एक दूसरे के अनुभवों से सीख लेकर काम करना होगा। इसके अलावा जल्दी ही एक केन्द्रीय नियमावली बनाई जाएगी ताकि इसके काम में एकरूपता और जवाबदेही लाया जा सके ।

— ज़ीनत मलिक

क्या आप जानते हैं ?

इस श्रृंखला में हम पुलिसिंग के कामों में हमेशा से चले आ रहे राजनैतिक हस्तक्षेपों के बारे में विभिन्न पुलिस सुधार समितियों और आयोगों में क्या कहा गया है, उसे प्रस्तुत कर रहे हैं।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग-दूसरी रिपोर्ट (अगस्त १९७९)

पुलिस के काम में राजनैतिक हस्तक्षेप :

- वर्तमान व्यवस्था में, पुलिस राज्य सरकार के कार्यकारिणी नियंत्रण में काम करती है। इस देश में जिस तरीके से पुलिस पर राजनैतिक नियंत्रण का इस्तेमाल किया जाता है वह इसका सिरे से दुरुपयोग है और इस कारण से कानून के राज का कटाव हुआ है पुलिस की, एक व्यावसायिक संगठन के रूप में विश्वसनीयता कम हुई है।
- पुलिस को अपनी ईच्छा के अनुसार झुकाने के लिए राजनेताओं के पास सबसे कारगर हथियार ट्रांसफर या निलम्बन की धमकी है।
- पुलिस को अपने निरोधक कार्यों के निष्पादन और सेवा अभिविन्यस्त कार्यों को पूरा करने के लिए, पुलिस संगठन को सरकार से संपूर्ण रूप से मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए तथा सरकार को, पुलिस द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में अपनाये जाने के लिए व्यापक नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। हांलाकि, क्षेत्र में इसके वास्तविक ऑपरेशन पर कोई निर्देश नहीं होना चाहिए।
- जांच के काम में, पुलिस के काम में किसी प्रकार का राजनैतिक या कार्यकारिणी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
- एक राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए ताकि राज्य अपने अधीक्षण की ज़िम्मेदारी को खुले तौर पर और कानूनी ढ़ांचे में रहकर पूरा कर सके। राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना कानून द्वारा हर राज्य में किया जाना चाहिए और इसमें सदस्य होने चाहिए, जिसमें:
- पुलिस के लिए उत्तरदायी मंत्री को अध्यक्ष होना चाहिए,
- राज्य विधानसभा से दो सदस्य, एक शासक पार्टी से और दूसरा विपक्षी पार्टी से, जिन्हें राज्य विधान सभा के स्पीकर की सलाह पर नियुक्त किया जाना चाहिए, और चार सदस्य जिन्हें मुख्यमंत्री, राज्य विधान सभा की स्वीकृति पर नियुक्त करेंगे जोकि सेवानिवृत जज व सेवानिवृत वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सामाजिक वैज्ञानिक या समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति या शिक्षक वर्ग में से होंगे।
- पुलिस प्रमुख इसका सचिव होगा जिसके पास एक सहायक कार्यालय भी होगा।

राज्य सुरक्षा आयोग को निम्नलिखित कार्यों को करना चाहिए :

- पुलिस के निवारक तथा अभिविनयस्त कार्यों के निष्पादन के लिए व्यापक दिशा निदेशक नीति और निर्देशन तैयार करना,
- हर साल राज्य पुलिस के कार्य–निष्पादन का मुल्यांकन करना और इसकी रिपोर्ट राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करना,
- अवैधानिक आदेशों या पदोन्नति से संबंधित मामलों में अधिकारियों के लिए एक अपील फोरम के रूप में काम करना,
- साधारण तौर पर पुलिस के कार्यों का पुनः निरीक्षण करना।

उच्चतम न्यायालय का निर्देश - प्रकाश सिंह बनाम भारत गणराज्य (२००६-२००७)

राज्य सुरक्षा आयोग :

- प्रत्येक राज्य को एक राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना करना होगा ताकि पुलिस अवैधानिक राजनैतिक हस्तक्षेपों से सुरक्षित रहे।
- आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा :
- पुलिस के लिए व्यापक दिशा निर्देश निर्धारित करना,
- पुलिस को निवारक कार्यो के निष्पादन और सेवा अभिविनयस्त कार्यों के लिए निर्देश देना,
- पुलिस के कार्य–निष्पादन का मुल्यांकन करना।
- आयोग की सिफ़ारिशें सरकार पर बाध्यकारी होंगी।
- आयोग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री (गृहमंत्री) द्वारा की जाएगी और पुलिस प्रमुख इसके सचिव होंगे। आयोग के दूसरे सदस्यों का चयन सरकार से स्वतंत्र होकर, राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, रायबेरो कमिटी या पुलिस एक्ट ड्राफ़्टिंग कमिटी द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर सदस्यों को चुन सकते हैं।

इस केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सात दिशा निर्देशों में से एक निर्देश जो पुलिस के कार्यों में बढ़ते हुए राजनैतिक हस्तक्षेपों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए था, 'राज्य सुरक्षा आयोग' की स्थापना था। निर्देश द्विदलीय संरचना को सुनिश्चित करता है और पुलिसिंग के कार्यों को बदलते हुए राजनैतिक शक्तियों से बचाता है और नीतियों को कुछ हद तक स्थिर रखने में भी मदद करता है।

आप हमें अपने राज्य में इसकी स्थिति के बारे में बतलाऐं। क्या आपके विचार में इस 'सुरक्षा आयोग' की स्थापना होनी चाहिए? हमें अपने विचारों से अवश्य अवगत कराऐं।

प्रस्तुती : ज़ीनत मलिक

आपके विचार

महोदय,

पुलिस विषयों से संबंधित मासिक पत्रिका ***लोक पुलिस*** जनवरी २०१२ का उत्कर्ष अंक प्राप्त हुआ। इस अंक में प्रकाशित समाचारों के लिये आपको मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करें। यह मासिक पत्रिका इस कार्यालय को हर माह प्राप्त होती है। इस पत्रिका में पुलिस संबंधित ज्ञानवर्धक बातें प्रकाशित होती हैं, जिनसे उनके दैनिक कार्यों में इसका लाभ प्राप्त होता है। इस अंक में श्री बलतेज सिंह ढ़िल्लन जो कनाडा में रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस में सार्जेंट के पद पर पदस्थापित है तथा भारतीय मूल के सिक्ख अफ़सर हैं। उनके साक्षात्कार में कनेडियन पुलिस की पुलिसिंग तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा तथा कर्तव्यनिष्ठा एंव वहां की पुलिस की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी मिली। इसके अलावा इस पत्रिका में अपराध स्थल की जांच और फोटोग्राफ़ी का महत्त्व भी विस्तारपूर्वक बताया गया है एंव हर कोने की हलचल के अन्तर्गत पुलिस समाचारों से अवगत कराया गया है, जो इस मासिक पत्रिका की उपलब्धि है।

मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आपकी पत्रिका इस प्रकार के लेख एंव पुलिस संबंधी ज्ञानवर्धक बातें प्रकाशित कर हमें लाभान्वित करती रहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ!

शुभेच्छु
नत्थीसिंह
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
कमाण्डेन्ट, पी टी एस, जोधपुर
राजस्थान

जांच प्रक्रिया श्रृंखला - पंचनामे का महत्त्व

जैसे ही जांच अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचता है उसे वहां के कुछ आदरणीय लोगों को और शिकायतकर्त्ता को इकट्ठा करना चाहिए और उन्हें अपराध स्थल के हर पहलू का अवलोकन करवाना चाहिए और फिर उसका रिकॉर्ड अपनी नोटबुक में दर्ज करना चाहिए। इस अवलोकन के समय उसे अपराध स्थल पर पाई जाने वाली सभी वस्तुओं को एकत्रित करना चाहिए और उन्हें अपने संरक्षण में रख लेना चाहिए। ऐसा बयान जो अपराध स्थल पर होने वाली घटना का, संरक्षित वस्तुओं का और वहां किये गये अवलोकन का बिल्कुल सही रिकॉर्ड हो, पर जांच अधिकारी के साथ गए लोगों के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को पंच और इस दस्तावेज़ को पंचनामा कहते हैं।

पंचनामा क्या होता है?

गुजरात पुलिस मैन्यूअल के नियम १८०(१) के अनुसार – पंचनामा, पंचों (गवाहों) द्वारा अपराध स्थल पर देखे गए तथ्यों का रिकॉर्ड होता है। यह एक तरीका है जिससे स्वतंत्र सबूत जोकि जांच अधिकारी के निष्कर्ष और अवलोकन का समर्थन करते हैं। यह पंचों और जांच अधिकारी के अदालत में दिये जाने वाले मौखिक बयान के समर्थन में भी उपयोगी होता हैं। गुजरात पुलिस मैन्यूअल का नियम १८०(२) कहता है कि यह पंचों के नाम, उम्र, व्यवसाय और पता से शुरू होता है और फिर इसमें यह बताया जाता है कि किस कारण से यह पंचनामा किया जा रहा है और अपराध स्थल की बिल्कुल सही जानकारी भी इसमें दर्ज होती है। अपराध स्थल पर पाई गई किसी भी चीज़ की जानकारी भी इसमें दर्ज होनी चाहिए। इसी तरह का एक और इंद्राज थाने में मौजूद मुद्दामाल रजिस्टर में भी दर्ज किया जाना चाहिए, यह रजिस्टर हर थाने में उपलब्ध होता है। पुलिस को चाहिए कि पंचों की मौजूदगी में इन चीज़ों पर सील लगा दे और इन पर घटना का ब्योरा अंकित करे। अगर आवश्यकता हो तो केस के अनुसार इन चीज़ों को उंगलियों के निशान या खून के निशान आदि की जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। किसी जांच नमूने या कंट्रोल नमूने को सावधानी से लिया जाना चाहिए और इसे पंचों की उपस्थिति में ही सील कर लेना चाहिए और बाद में इसे जांच के लिए भेजना चाहिए। सारे विवरण की सूची बनाने के बाद पंचनामा लिखा जाता है और इसमें पंचों के हस्ताक्षर, इसे शुरू करने और समाप्त करने का समय और तिथि दर्ज होनी चाहिए।

आमतौर पर पंचनामा कैसे बनाया जाता है :

पंचनामा आम तौर पर अपराधस्थल पर और पंचों की उपस्थिति में जांच अधिकारी द्वारा लिखा जाता है और उसे सत्यापित करने के बाद वे उस पर हस्ताक्षर करते हैं।

पंच को शिक्षित होना चाहिए ताकि वे स्वंय पंचनामा लिख सकें। लेकिन समय के साथ पंचनामा लिखने के मूल तरीके की जगह पुलिस द्वारा लिखने का प्रचलन शुरू हो गया है और पंच केवल औपचारिकता के तौर पर पंचनामे पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इतना ही नहीं अब तो पुलिस कुछ चिन्हित लोगों को तकरीबन हर केस में पंच की जगह उपयोग करती है। इन पंचों को अभ्यस्त पंच कहा जाता है और अदालतों ने भी साफ़ कहा है कि ऐसे पंचों की गवाही पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता और स्वंय पुलिस ने भी कई अवसरों पर इनके काम पर सवाल उठाया है। गुजरात पुलिस मैन्यूअल में यह साफ़ लिखा है कि किसी पंच गवाह के सबूत पर भरोसा करने या न करने का निर्णय लेना हो तब यह देखना चाहिए कि क्या वह बार–बार पंच की भूमिका निभाता रहा है।

– नवाज़ कोतवाल

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

क्राईम ट्रैकिंग सिस्टम-शीघ्र पुलिस की सेवा में!

राज्य पुलिस, क्राईम ट्रैकिंग सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.) के कार्यान्वयन से तकनीक का पुलिसिंग में उचित उपयोग करने की तैयारी कर ली गई है।

पुलिस की जांच में मदद करने तथा अपराधियों का पता लगाने में मदद करने के लिए राष्ट्र स्तर पर एक व्यापक और संकलित व्यवस्था सी.सी.टी.एन.एस. के कार्यान्वयन के लिए यूनियन गृह राज्य मंत्री ने २००० करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है।

मंत्रालय द्वारा हर राज्य को हाल ही में तकरीबन २०० करोड़ रुपये दिये गए हैं। एन.आई.आई.टी. टेक्नॉलोजी को झारखंड में इस परियोजना की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार झारखंड, निवेशकों द्वारा अधिक पसंद किया जाने वाला स्थान बन चुका है। इसलिए यहां अलग-अलग प्रकार के अपराध भी पनपने लगे हैं। सी.सी.टी.एन.एस. के कार्यान्वयन से वर्तमान हालात में कार्यक्षमता में बढ़ोतरी की बहुत संभावना है।

झारखंड सरकार ने सभी महत्त्वपूर्ण थानों में कंप्यूटर लगवाने और उन्हें राज्य पुलिस मुख्यालय स्थित क्राईम इंवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (सी.आई.डी.) से जोड़ने पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। इस परियोजना के लिए ट्रेनिंग जारी है।

इस व्यवस्था के अंतर्गत ३५ राज्यों और संघशासित राज्यों के तकरीबन १४००० थानों और ६००० पुलिस उच्च कार्यालयों को जोड़ दिया जाएगा जिससे कि सभी जगह पर समवर्ती जानकारियों और अपराध के आंकड़ों को बांटा जा सके जिससे कि जांच अधिकारियों के जानकारी का आधार मज़बूत हो सके।

इस परियोजना के समाप्त होने के बाद एफ.आई.आर. और फोटो हर थाने से देश के किसी भी थाने में देखे जा सकेंगे। इस व्यवस्था से सभी जिला पुलिस मुख्यालय, फिंगरप्रिंट ब्यौरो और फौरेंसिक साईंस लैबोरेटरी को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। केवल एक क्लिक पर किसी अपराधी से संबंधित डाटा उपलब्ध हो सकेगा।

(सौजन्य: डेली पायनियर डॉट कॉम, ६ मार्च २०१२)

बेहतर पुलिस जांच के लिए विशिष्ट सेल की स्थापना

मध्यप्रदेश के डी.जी.पी. श्री नंदन दूबे ने अपने अधिकारियों को पुलिसिंग के विभिन्न स्तरों पर जांच की गुणवत्ता की बेहतरी के लिए, व्यवासायिक रूप से जांच करने के लिए और जांच को कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर पूरा करने और अपराधियों को सख़्ती से सज़ा दिलाने के लिए स्पेशल सेल बनाने के निर्देश दिये हैं।

इन सेलों द्वारा इनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले संगीन अपराधों जैसे-हत्या, लूट, वित्तीय फ़ायदे के लिए अपहरण, व्यवासायिक अपराधी, संगठित गैंग, जाली पैसे और नोट से जुड़े मामले। हर थाने में इस सेल को तकरीबन २५ प्रतिशत स्टाफ काम करने के लिए दिया जाएगा।

इस सेल के अंतर्गत जांच का काम वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। ज़िला स्तर पर - एस.पी., रेंज स्तर पर - डी.आई.जी., ज़ोन स्तर पर - आई.जी. पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र में संगीन और महत्त्वपूर्ण केसों की जांच करेंगे।

थाने से लेकर ज़ोन स्तर पर, जांच की निगरानी क्राईम इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सी.आई.डी.) द्वारा की जाएगी और प्रत्येक सेल को इस विभाग में अपने काम का ब्यौरा अवश्य रूप से देना होगा।

अपराधों की जांच प्रक्रिया को अधिक कारगर बनाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से अलग सेल की स्थापना की आवश्यकता को समझकर इसे वास्तविक रूप में बनाने के निर्देश से यह सिद्ध होता है कि पुलिस नेतृत्व भली भांति जानती है कि अच्छे अपराध सिद्धि दर के लिए जांच के काम को बाकी के कार्यों से अलग करना ही होगा। उच्चतम न्यायालय और पुलिस सुधार के मुद्दे पर काम करने वाले बुद्धिजीवियों ने लगातार इस बात की वकालत की है कि जांच के काम को पुलिसिंग के बाकी कामों से अलग किया जाना चाहिए।

(सौजन्य: डेली पायनियर डॉट कॉम, ७ मार्च २०१२)

पुलिसकर्मियों का वेतन रोकना-कितना वैधानिक?

झारखंड में पुलिस विभाग ने कुछ पुलिस अधिकरियों की तनख्वाह होली के समय पर रोक ली जब वे समय पर दी गई ड्यूटी पूरी नहीं कर पाए। झारखंड पुलिस असोसिएशन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा उठाए गए इस कदम की निंदा की है और इसे अवैधानिक भी कहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कमल किशोर ने कहा कि 'यह पुलिस नियमावली में कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोई पुलिसकर्मी काम समय पर न पूरा करे तो उसका वेतन रोक लिया जाए। होली के समय किसी का वेतन रोकना पूरी तरह अनैतिक है, इससे पूरा परिवार प्रभावित होता है।'

जबकि वरिष्ठ अधिकारी इसे रुटीन प्रचलन मानते हैं और उनके अनुसार 'इससे होली के समय किसी का वेतन रोकने जैसी बात का कोई अर्थ नहीं है, यह एक रुटीन प्रक्रिया है जब कभी कोई पुलिसकर्मी दिये गये काम को समय पर पूरा नहीं करता तब कुछ समय के लिए उसका वेतन रोक दिया जाता है। इन सारे लोगों को अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सख़्त करने तथा पेंडिंग केसों को समय पर निपटाने के लिए कहा गया था। उनके विरुद्ध कार्यवाही इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने समय पर जांच पूरा नहीं किया था। ऐसा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर किया गया था।'

झारखंड पुलिस नेतृत्व द्वारा इस प्रकार का दण्ड किसी कानून और नियमावली का भाग नहीं है। हांलाकि, इस प्रकार के प्रचलन से हो सकता है कि कभी निवारक परिणाम के तौर पर कार्य-निष्पादन में तेज़ी आए लेकिन किसी को वैधानिक रूप से दिये जाने वाले वेतन को पाने के अधिकार से वंचित करना अवैधानिक है।
आशा है अधिकारी अपने यहां चले आ रहे इस प्रचलन को स्वंय मानवाधिकार की कसौटी पर रख कर परखेंगे और इसका निराकरण अवश्य ही करेंगे।

(सौजन्य: डेली पायनियर डॉट कॉम, ७ मार्च २०१२)

मेरठ पुलिस-'जांच' और 'कानून व्यवस्था' का अलगाव

उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलाहाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह मेरठ में 'जांच' और 'कानून-व्यवस्था' ड्यूटी को तत्काल अलग कर रहे हैं, जोकि उच्चतम न्यायालय द्वारा २००६ में पुलिस सुधार के लिए दिये गये महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देशों में से एक है।

पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि प्रदेश में कुल अनुमोदित संख्या के ४० प्रतिशत से भी कम सब-इंस्पेक्टर मौजूद हैं। अदालत ने अपने २४ जनवरी २०१२ के आदेश में यह कहा था कि इस सुधार की शुरुआत मेरठ से की जा सकती है जिसे हाल ही में भारत की 'अपराधों की राजधानी' कहा गया था। अदालत ने यह भी नोट किया था कि राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है।

हलफ़नामे में यह भी कहा गया कि इस उपाय को ३ महीने के पुनः निरीक्षण के बाद लखनऊ, कानपुर और वाराणसी ज़िलों में भी बढ़ाया जाएगा जहां जनसंख्या १० लाख से अधिक है। इससे पहले पुलिस, सहकारी कठिनाईयों को इनके न लागू करने का कारण बताती रहती थी।

पूर्व डी.जी.पी. श्री अतुल गुप्ता द्वारा दायर हलफ़नामे में बताया गया था कि १४ मार्च को इस बारे में सर्कुलर जारी कर दिया गया था और तकरीबन ३२ सब-इंस्पेक्टरों को इसके लिए नियुक्त कर दिया गया है।

इस पहल को, उत्तर प्रदेश की नई सरकार द्वारा 'पुलिस सुधार' संबंधित साकारात्मक ईच्छा शक्ति का यह एक अच्छा उदाहरण समझा जा सकता है। लेकिन, अभी इस ओर बहुत लम्बा सफ़र बाकी है। क्योंकि, यह केवल थाना स्तर के पुलिसकर्मियों के कार्य-निष्पादन में बेहतरी की ओर एक कदम है, अभी पुलिस सुधार कम से कम ६ संतुलित और सटीक कदम की दूरी पर है क्योंकि अभी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये बाकी ६ दिशा-निर्देशों को पूरी तरह लागू करना है।

(सौजन्य: डेली पायनियर डॉट कॉम, २२ मार्च २०१२)

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली-११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org